रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 191] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 1973/श्रावण 29, 1895
No. 191] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 1973/SRAVANA 29, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 20th August 1973

No. PL-30(215)/72.—In partial modification of para 5 of this Ministr-'s Resolution No. PL-30(215)/72, dated the 23rd March, 1973 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part I, Section 1, dated the 23rd March, 1973, the tenure of the Committee is hereby extended by another three months beyond 28th August, 1973.

ORDER

Ordered that copies of the Resolution be communicated to the Members of the Committee

Also ordered that copies of the Resolution be communicated to all State Governments/Local Administrations, Planning Commission, National Committee on Science and Technology (Deptt. of Science and Technology); Council of Scientific and Industrial Research, Central Road Research Institute and also that it be published in the Gazette of India for general information.

J. S. MARYA,
Director General (Road Development) &
Additional Secretary

सीवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1973

संख्या पी एल–30(215)/72.—भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I, खण्ड 1, दिनांक 24 मार्च, 1973 में प्रकाशनार्थ इस मंत्रालय के संकल्प संख्या पी एल (215)/72, दिनांक 23 मार्च, 1973 के पैरा 6 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा समिति की कार्यावधि 28 अगस्त, 1973 के बाद और तीन महीने के लिए बढ़ा दी गई है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां समिति के सदस्यों को भेज दी जाएं ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां, सभी राज्य सरकारों/स्थानीय प्रशासनों, योजना आयोग, विज्ञान तथा प्रायोगिकी (विज्ञान तथा प्रायोगिकी) राष्ट्रीय समिति, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को भेजी जाएं और इसे सार्वजनिक सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जे० एस० मार्या,
महानिदेशक (सड़क विकास) तथा
अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973